मानक प्रचालन प्रक्रिया(Standing Operating Procedure)

बाल देखरेख संस्था में निवासरत बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा हेतु मानक प्रचालन प्रक्रिया

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत् विधि का उल्लंघन करने वाले एवं देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक संरक्षण, सुरक्षा, परामर्श एवं पुनर्वास के लिए बाल देखरेख संस्था यथा बाल गृह, सम्प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, खुला आश्रयगृह एवं सुरक्षित स्थान पर रखे जाते है। बाल देखरेख संस्था में निवासरत बालकों की उचित देखभाल हेतु निम्नानुसार मानक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

1/ **परिभाषा** :–

1.1 **विधि का उल्लंघन करने वाला बालक से आशय**– किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2(13) के अनुसार परिभाषित बालक।

1.2 **देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक से आशय** – किशोर न्याय अधिनियम की धारा 2(14) के अनुसार परिभाषित बालक।

1.3 **बालक से आशय**– किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष की आयु के बालक/बालिका।

1.4 **बालकों का निराकरण करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से आशय** :– विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों हेतु किशोर न्याय बोर्ड एवं देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों हेतु बाल कल्याण समिति।

1.5 **बाल देखरेख संस्था से आशय** – किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 के तहत् बालकों के देखभाल, सुरक्षा, शिक्षा, कौशल विकास, संरक्षण, परामर्श एवं पुनर्वास के लिए संचालित संस्था विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी, बालगृह, सम्प्रेक्षण गृह, विशेषगृह, सुरक्षित स्थान एवं खुला आश्रय गृह।

2/ **बाल देखरेख संस्थाओं में बालकों के देखभाल की मानक प्रचालन प्रक्रिया** –

(1) **बाल देखभाल** –

(i) किशोर न्याय अधिनियम एवं नियमों के अनुसार बालक को देखभाल और संरक्षण प्रदाय किया जाये।

(ii) बालकों को घर जैसा महौल एवं प्यार प्रदाय किया जाये और उनकी देखभाल और चिन्ता की जाये।

(iii) बालकों को उपुयक्त पोषण एवं अहार प्रदाय किया जाये यदि कोई रोगी बालक है तो उसे चिकित्सक के परामर्श अनुसार खाद्य पदार्थ दिया जाये।

(iv) बालक प्रवेश के समय गुमशुम या अवसाद की स्थिति मे है तो उसे प्यार से समझाईस दी जाये।

(v) बालक के प्रवेश के समय उसका चिकित्सा परीक्षण करवाया जाये यदि उसे कोई तकलीफ है तो उसकी समस्या का समाधान किया जाये।

(vi) संस्थागत बालकों को सभी दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुऐं उपलब्ध करवायी जाये।

(vi) बालक के संस्था में प्रवेश के उपरांत परामर्श, तत्काल स्वास्थ्य की देखरेख, माता–पिता से दूरभाष पर चर्चा, संस्थागत अन्य बच्चों के साथ मित्रता कराने हेतु समन्वय, स्थापित किया जाये ताकि बालक संस्था में सहज महसूस कर सके।

(vii) संस्थागत बालकों को प्रदाय किये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की अधीक्षक/प्रबंधक नियमित निगरानी करें एवं समय–समय पर संस्थागत बालकों के साथ भोजन भी ग्रहण करें, सप्ताह में दो दिवस फल एवं विशेष अवसरों पर विशेष भोजन प्रदाय किया जाये।

(viii) संस्था में बालकों की समस्या के निराकरण हेतु प्रबंधन समिति एवं बाल समिति का गठन किया जाये एवं बाल समिति द्वारा अनुशांसित भोजन के मीनू अनुसार बालकों को भोजन प्रदाय किया जाये।

(ix) संस्थागत बालकों को उनके आयु समूह के अनुसार पृथक–पृथक रखा जाये।

(x) संस्था में निवासरत बालकों को बाहर की खुली खाद्य सामग्री नही दी जाये। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि कोई खाद्य सामग्री दी जाना आवश्यक है तो चिकित्सक के परामर्श के उपरांत ही दी जाये।

(xi) संस्थागत बालकों का नियमित चिकित्सा परीक्षण करवाया जाये एवं इस हेतु प्रत्येक बालक का पृथक–पृथक चिकित्सा कार्ड बनाया जाये।

(2) **व्यवहार एवं परामर्श** –

(i) गृह में पदस्थ अमला निवासरत बालकों से मित्रतापूर्वक व्यवहार करें एवं उनकी परेशानी को समझने का प्रयास किया जाये।

(ii) परामर्शदाता नियमित गृह के बालकों को परामर्श प्रदान किया जाये।

(iii) संरक्षण अधिकारी(संस्थागत) गृह के बालकों से नियमित संवाद स्थापित किये जाये।

(iv) संस्था के अधीक्षक/अन्य कर्मचारी संस्थागत बालकों से संवाद स्थापित एवं उन्हें समय–समय पर परामर्श प्रदान करे।

(v) अधीक्षक/कर्मचारियों को यदि बालकों के व्यवहार अथवा कार्यकालापों में कोई परिर्वतन दृष्टिगत हो तो उनसे चर्चा कर समझाईस दे आवश्यकता होने पर विशेषज्ञ परामर्शदाता अथवा मनोचिकित्सक की सेवा भी ले।

(vi) परामर्शदातों द्वारा दिये जाने वाले परामर्श के दौरान समय–समय पर अधीक्षक/कर्मचारी भी कक्ष में उपस्थित रहे तथा बालकों के व्यवहार का आंकलन करें।

(vii) यदि संस्था में रह रहे प्रत्येक बालक की नियमित निगरानी एवं मॉनिटरिंग करें, यदि कोई बालक अकेला या गुमसुम रह रहा है अथवा संस्था की गतिविधियों में भागीदारी नही कर रहा है तो उस बालक से स्नेह से बात कर समस्या जानने का प्रयास करें एवं संसथागत कार्यकलापों में भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित करें।

(viii) बालक क्यों अकेला रह रहा है अथवा संस्था की गतिविधियों में क्यों संलप्ति नही है इसकी जानकारी संस्थागत अन्य बालकों से प्राप्त करें एवं संस्थागत अन्य बालकों भी प्रोत्साहित करें कि वह उस बालक को अपने साथ संस्थागत गतिविधियों में संलिप्त करें।

(ix) अकेले या गुमसुम या अवसाद में रहने वाले बालकों को विशेषज्ञ परामर्शदाताओं के माध्यम से परामर्श दिलवाये यदि आवश्यक हो तो इस संबंध में व्यवसायरत परामर्शदाताओं की सेवा भी प्राप्त करें अथवा शासकीय मनः चिकित्सक एवं मनोविज्ञानिक विशेषज्ञ की सेवाऐं प्राप्त करें।

(x) बालक के परामर्श के उपरांत परामर्शदाताओं/ विशेषज्ञ परामर्शदाताओं द्वारा की गई अनुशसां अनुसार बालकों के सर्वोत्तम हित हेतु कार्यवाही संपादित की जाये।

(3) **बाह्य एवं आंतरिक गतिविधियां –**

(i) संस्था में बालकों से के लिए दैनिक दिनचर्या बनायी जाये एवं दैनिक दिनचर्या का पालन सुनिश्चित करवाये।

(ii) संस्थागत बालकों के साथ परामर्श तथा रूचि को सम्मिलित कर बाल देखरेख योजना तैयार की जाये एवं योजना के अनुसार उन्हे शिक्षण/प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।

(iii) संस्थागत बालक समूह में बिना किसी कार्य के बैठे हो तो उनसे चर्चा कर उन्हें इन्डोर गेम, प्रशिक्षण, शिक्षण के माध्यम से व्यस्त रखे।

(iv) संस्थागत बालकों को हिंसा, अपराध, शोषण आदि से संबंधित फिल्म,टी.व्ही धारावाहिक न दिखाये जाये न ही ऐसे साहित्य,कहानी किताबे आदि उपलब्ध करवायी जाये।

(v) संस्थागत बालकों को समाचार पत्र, ज्ञानवर्धक, महापुरूषों की जीवनी, सामान्य ज्ञान जैसी किताबे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें।

(vi) बालकों को प्रातः एवं सांय काल में व्यायाम एवं योग करवाया जाये।

(vii) संस्था में इनडोर एवं आउटडोर खेल कूद का आयोजन किया जाये एवं संस्थागत सभी बालकों को इनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।

(viii) संस्था में चित्रकला, सामान्य ज्ञान जैसी प्रतियोगता का आयोजन करें।

(ix) संस्थागत बालकों को आपस में समन्वय स्थापित किये जाने संबंधी गतिविधियां संपादित करवायी जाये।

(x) संस्थागत बालकों को पिकनिक पर ले जाया जाये यथासंभव यह प्रयास किये जाये की पिकनिक स्थल कोई ऐतेहासिक स्थल, साइंस सेन्टर,म्यूजियम, सांस्कृति स्थल पर ले जाया जाये तक बालकों को ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके।

(xi)

3/ **सुरक्षा प्रक्रिया –**

(1) आंतरिक सुरक्षा–

(i) संस्था एवं बच्चों की सुरक्षा में नियुक्त चौकीदार एवं गार्ड मुस्तैदी से ड्यूटी करे।

(ii) चौकीदार एवं गार्ड प्रतिदिवस समय–समय पर संस्था के सम्पूर्ण परीसर, बच्चों के कमरे(मय शौचालय/स्नानघर सहित) का भ्रमण करे।

(iii) बाल कल्याण अधिकारी, मैट्रन, हाउस मास्टर, चौकीदार एवं गार्ड यह सुनिश्चित करे कि बच्चों के कमरे के सी.सी.टी. व्ही कैमरे सुचारू रूप से कार्य कर रहे हो, संस्था के कक्ष, खिड़की, दरवाजे, रोशनदान, प्रवेश द्वारा, चैनल गेट, शौचालय/स्नानघर आदि में कोई कोई टूट–फूट, छेड़छाड़ न हुई हो कोई भी संदेह की स्थिति में तत्काल इसकी जानकारी से संस्था के प्रभारी अधिकारी अथवा जिम्मेदार को अवगत करायें।

(vi) संस्था के खिड़की, दरवाजे, चैनल गेट, रोशनदान, संस्था की दीवारो का भलिभांति परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जावे की वह मजबूत हो यदि कोई मरम्मत की आवश्यकता है तो उसमें तत्काल सुधार कार्य करवाया जावे।

(v) संस्था में आने वाले आगंतुक, अशासकीय संगठन के प्रतिनिधि, इन्टरनशिप करने वाले व्यक्तियों को बालकों के कक्ष, स्नानघर, शौचालय अथवा संस्था के रसोईघर में जाने से प्रतिषेद्ध किया जाये।

(vii) सी.सी.टी..व्ही कैमरे चालू स्थिति में तथा सही एंगल पर हो और संस्था के अधीक्षक/कर्मचारियों/चौकीदार द्वारा उनकी सत्त मॉनिटरिंग कही जाये। संस्था के सी. सी.टी..व्ही चालू हालत में हो।

(viii) संस्था में प्राथमिक उपचार किट, रसोई धर में अग्निशामक की व्यवस्था हो।

(ix) संस्था में आने वाले, अंशासकीय संगठन के प्रतिनिधि, इन्टरनशिप करने वाले व्यक्तियों की सघन तलाशी ली जाये कोई हथियार, उपकरण, आपत्तिजनक सहित्य, मोबाईल, कैमरा आदि संस्था में ले जाये जाने की अनुमति न दी जाये।

(2) बाह्य सुरक्षा

(i) संस्था के मेनगेट, पिछले हिस्से, भवन परिसर में सी.सी.टी..व्ही कैमरे चालू स्थिति में लगे हो तथा सही एंगल पर हो और उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाये।

(ii) गार्ड/चौकीदार ड्यूटी समाप्त होन के उपरांत आगामी पाली मे आने वाले कर्मचारी को संस्था के बाह्य परिसर / भवन के भीतर की सुरक्षा की चेकिंग करवाने एवं सुरक्षा की सुनिश्चिता करवाये जाने के उपरांत चार्ज देवे।

(iii) गार्ड/चौकीदार/अन्य संस्था के कर्मचारी समय–समय पर यह सुनिश्चित करे कि बाउन्ड्रीवाल/ संस्था के बाह्य परिसर में टूट–फूट, छेड़छाड़ न हुई हो कोई भी संदेह की स्थिति में तत्काल इसकी जानकारी से संस्था के प्रभारी अधिकारी अथवा जिम्मेदार को अवगत करायें।

(3) **रात्रिकालीन सुरक्षा–**

(i) संस्था परिक्षेत्र में आने वाले थाना प्रभारी से समन्वय कर यह सुनिश्चित करें कि डायल 100 एवं पुलिस का नियमित भ्रमण विशेषकर रात्रिकाल में संस्था परिसर के चारो और करे साथ ही सुरक्षा की सुनिश्चिता करें।

(ii) संस्था के भवन, परिसर, भवन बाह्य भाग में चारों और लाईटिंग की व्यवस्था हो और यह सुनिश्चित किये जाये की वह रात्रिकाल में चालू रहें।

(iii) रात्रिकाल में चौकीदार एवं गार्ड जागकर मुस्तैदी से ड्यूटी करे तथा रात्रीकाल में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुय प्रति 01 घंटे में सुरक्षा व्यवस्था ठीक है यह सुनिश्चित करें।

(iv) रात्रि में जिम्मेदार कर्मचारी की ड्यूटी रोस्टर के अनुसार लगायी जावे एवं समय–समय पर अधीक्षक/जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया जाये।

(v) यह सुनिश्चित किया जाये कि रात्रिकालीन कर्मचारी के उपयोग हेतु दूरभाष चालू स्थिति में हो।

(vi) रात्रिकाल यदि कोई बालक सो नही रहा है अथवा गुमसुम है तो उसके बारे में तत्काल जानकारी ली जाकर सुरक्षा के उपाय किये जाये।

(vii) संस्था के बाहर स्ट्रीट लाईट चालू स्थिति में हो यह सुनिश्चित किया जाये यदि संस्था के बाहर कोई असामाजिक तत्व/संदेहासपद व्यक्ति दिखायी दे तो तत्काल इसकी सूचना समीपस्थ थाने/डायल 100 को दे।

(viii) किसी भी बाहरी व्यक्ति को रात्रिकाल में संस्था में आने की अनुमति नही दे न ही किसी भी बालक को संस्था के बाहर ले जाया जाये।

(4) **परिजनों से मुलाकात के समय सुरक्षा–**

(i) बालकों की परिजनो से मुलाकात के समय जिम्मेदार कर्मचारी उपस्थित रहे।

(ii) बालकों के परिजनों से कोई भी खुली सामग्री न ली जाये पैकेट बंद सामग्री भी अच्छी तरह परीक्षण किये जाने के उपरांत ही वह बालकों को प्रदान की जावे।

(iii) बालकों से परिजनों की मुलाकात की पंजी संधारित की जावे जिसमें परिजनों से पहचान पत्र भी संलग्न हो पंजी पर मुलाकात करवाने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर हो।

(iii) बालकों से परिजनों के अतिरिक्त किसी भी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात न करवायी जाये।

(ध) **स्टोर/रसोई घर उपकरण/धारधार हथियार के संबंध में सुरक्षा उपाय–**

(i) धारदार हथियार/ औजार/वस्तु, चाकू, मिर्च पाउडर अथवा ऐसी कोई भी वस्तु जिसका उपयोग औजार/हथियार के रूप में किया जा सकता हो बालकों के पास न हो यह सुनिश्चित किये जाने हेतु उनके कक्ष, लाकर, वस्त्र–बिस्तर, शौचालय , स्नानघर आदि की नियमित जांच किये जाने हेतु संस्था के जिम्मेदार कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित की जाये।

(ii) संस्था के रसोईये, सुरक्षा गार्ड एवं स्वच्छक स्वयं यह सुनिश्चित करें कि उनके प्रभार के स्थान पर कोई टूट–फूट, छेड़छाड़ न हुई हो।

(iii) रसोईघर में उपयोग किये जाने वाली सामग्री यथा चाकू, हंसिया, छिलनी, कैंची, आदि जो औजार/हथियार के रूप उपयोग हो सकते है उसे रसोईया अपने संरक्षण में रखे और किसी भी स्थिति में बालकों को न दी जाये।

(iv) स्टोर में रखे रासायनिक पदार्थ व बगवानी में उपयोग किये जाने वाले उपकरण यथा फावड़ा, गेती, कैंची, कुल्हाड़ी आदि खुले स्थान पर न रखे जावे हमेशा उपयोग के बाद ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखा जावे जो सी.सी.टी.व्ही. कैमरे से कवर होता हो।

6/ विभिन्न कृत्यकारियों के कृत्य एवं उत्तरदायित्व–

(1) जिला बाल संरक्षण इकाई/जिला बाल संरक्षण अधिकारी –

(i) नियमित बाल देखरेख संस्था का भ्रमण एवं सुरक्षा प्रबंधन का निरीक्षण किया जाये।

(ii) जिला बाल संरक्षण अधिकारी प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होने से उसे संस्था में गुणवत्ता पूर्ण सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चिता किया जाना चाहिए।

(iii) बालकों के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक परामर्श की व्यवस्था करना।

(iv) बाल देखरेख संस्था का रात्रि या अवकाश के दिवस आकस्मिक निरीक्षण किया जाये।

(v) बाल संरक्षण अधिकारी(संस्थागत) को संस्थाओं का भ्रमण कर बाल देखभाल, परामर्श एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करवाये जाने हेतु निर्देशित किया जाये।

(vi) बाल प्रबंधन समिति का गठन एवं नियमित बैठकों का आयोजन कर व्यक्तिगत समस्यों की जानकारी लेना एवं उनकी कठनाईयों को हल करना।

(vii) बालकों के नियमित परामर्श की व्यवस्था करना।

(viii) बालकों के प्रकरण का तत्काल निराकरण करवाये जाने हेतु परिवीक्षा अधिकारी/सह विधि परिवीक्षा अधिकारी/ बाल कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया जाना।

(ix) संस्था के भवन, परिसर, भवन बाह्य भाग में चारों और लाईटिंग एवं सुरक्षा की व्यवस्था की सुनिश्चिता।

(x) बालकों को आवश्यक सहायता एवं सहयोग प्रदान करवाये जाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण/विशेषज्ञों से समन्वय करना।

(xi) अपातकालीन स्थिति में संस्था को सभी आवश्यक सहायता तत्काल उपलब्ध करवाना।

(xii) बाल संरक्षण अधिकारी(संस्थागत) को संस्था का नियमित भ्रमण कर संस्था की गुणवत्ता सुधार की सिफारिश जिला बाल संरक्षण इकाई को की जानी चाहिए।

(xiii) बाल संरक्षण अधिकारी(संस्थागत) को संस्थागत बालिकों को परामर्श दिया जाना चाहिए एवं व्यक्तिगत देखरेख योजना के अनुसार भविष्य की योजना समीक्षा की जाना चाहिए।

(xiv) जिला बाल संरक्षण इकाई को संस्था के साथ समन्वय कर कार्य को सुगम बनाया जाना चाहिए।

(xv) जिला बाल संरक्षण अधिकारी को समय–समय पर संस्था के कार्यो का मूल्यांकन कर आवश्यक निर्देश प्रदान किये जाने चाहिए।

(xvi) जिला बाल संरक्षण अधिकारी समय–समय पर रात्रिकाल में औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग करें।

(2) **संस्था का प्रभारी अधिकारी/अधीक्षक –**

(i) अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना एवं आवश्यक सुरक्षा प्रबंधन करना।

(ii) अधीक्षक/ प्रभारी अधिकारी सी.सी.टी. व्ही कैमरों की नियमित मॉनिटरिंग करे, विशेषकर रात्रिकालीन समय में।

(iii) अवकाश के दिन एवं रात्रि में जिम्मेदार कर्मचारी की ड्यूटी रोस्टर के अनुसार लगायी जावे। अवकाश के दिवस रोस्टर के अनुसार ड्यूटी में परिवीक्षा अधिकारी/बाल कल्याण अधिकारी को भी सम्मिलित किया जावे।

(iv) संस्था अधीक्षक/कर्मचारी बालकों के साथ नियमित संवाद स्थापित करे। बालको की उनके परिजन से नियमानुसार मुलाकात/दूरभाष पर बात करवाये। आवश्यकता होने पर बालक/परिजनों की काउसलिंग भी करे।

(v) बालकों से परिजनों की मुलाकात की पंजी का नियमित अन्तरालों में अधीक्षक द्वारा परीक्षण किया जावे।

(vi) प्रत्येक बाल देखरेख संस्था का अधीक्षक/प्रभारी अधिकारी सप्ताह में एक बार रात्रि में आकस्मिक निरीक्षण करे।

(vii) संस्था में शिकायत पेटी की स्थापना एवं बालकों का पेटी तक आगमन सुगम बनाये जाने की व्यवस्था करे एवं पेटी में प्राप्त शिकायत की संविक्षा हेतु समिति का गठन का विधिवत कार्यवाही विवरण बनाकर प्राप्त शिकायत पर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

(viii) संस्था अधीक्षक द्वारा संस्थागत बालकों को दिये जाने वाले भोजन का नियमित निरीक्षण कर पंजी की प्रविष्टि की स्वयं जांच करनी चाहिए।

(ix) किशोर न्याय नियम, के अनुसार बाल देखरेख संस्था में निवासरत बालक के मुलाकात के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति का संस्थागत बच्चे से रिश्ते के प्रमाण के नाम एवं पता आदि की जानकारी आगंतुक पुस्तिका रिकार्ड रखा जाना चाहिए। यदि आंगतुक द्वारा विवरण प्रगट नही करता है तो मुलाकात से मना किया जाना चाहिए। इस हेतु जिम्मेदारी कर्मचारी की नियुक्ति की जानी चाहिए।

(x) माता–पिता/रिश्तेदार/अभिभावक के अतिरिक्त अन्य बाहरी व्यक्तियों से मुलाकात हेतु किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए ।

(xi) संस्थागत समस्त बच्चों को पोष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ दिये जाने की सुनिश्चिता होना चाहिए। संस्था के प्रभारी अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए की बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं स्वास्थ्यवर्धक भोज्य पदार्थ प्राप्त हो रहा हो।

(xii) ड्यूटीरत कर्मचारियों द्वारा खाद्य सामग्री प्रदाय किये जाने के पूर्व उसकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जाना चाहिए तथा आवश्यक हो तो उसे चखा भी जाना चाहिए।

(xiii) संस्था के प्रभारी को गृह की सुरक्षा व्यवस्था हेतु समस्त जिम्मेदार कर्मचारियों निर्देशित किया जाना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए की संस्था में कोई प्रतिबंधित वस्तु प्रवेशित न हो

(3) किशोर न्याय बोर्ड समिति/बाल कल्याण समिति :–

(i) सेवाओं की क्वालिटी में सुधार करने के लिए कार्रवाई करने की सिफारिश जिला बाल संरक्षण इकाई को की जानी चाहिए ।

(ii) बाल देखरेख संस्था में निवासरत बच्चों को विधिक सहायता उपलब्ध करवाये जाने के निर्देश प्रभारी अधिकारी को दिये जाये।

(iii) बालकों को सुगम और सुविधाजनक महौल प्रदान किये जाने हेतु सपोर्ट पर्सन, अन्य परामर्शदाताओं से बातचीत करवायी जानी तथा मानसिक एवं मनोवैज्ञनिक सहायता हेतु उनकी बातचीत उनके परिवार के लोगो से भी करवायी जाये।

(iv) बाल देखरेख संस्था में निवासरत बालिको का स्वयं परामर्श करना चाहिए एवं आवश्यकता होने पर विशेषज्ञ परामर्शदाताओं की व्यवस्था हेतु जिला बाल संरक्षण अधिकारी को निर्देशित किया जाये।

(v) संस्थागत बालक/बालिका के परिवारजनों को भी आवश्यकता होने पर परामर्श दिया जाये।

(vi) लम्बे समय से संस्था में निवासरत बालकों के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाने के प्रयास किय जाये।

.....00.....